सं0-30/2016/596-1/62-2-2016-2/3(35)/2013टी0सी0

प्रेषक,

भरत लाल राय,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 30 मार्च,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुढ़ढ़ीकरण/निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त धनराशि को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-307/ल0सिं0/बजट-बी0के0 टी0/2013-14, दिनांक 03.02.2016 तथा पत्र सं0-जी-326/ल0सिं0/बजट-बी0के0 टी0/2013-14, दिनांक 24.02.2016 के क्रम में शासनादेश सं0-596/62-2-2016-2/3(35)/2013टीसी, दिनांक 28.03.2016 को कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10.6.2011 के प्रस्तर-3(5) में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुढ़ढ़ीकरण/विशेष मरम्मत हेतु उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28.03.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-34.07 लाख् को कार्यदायी संस्था को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10-06-2011 में दी गयी व्यवस्था तथा दिये गये परामर्श के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(भरत लाल राय)
सचिव।

2-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-30/2016/596-1(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान,बी0के0टी0, लखनऊ।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11- एन0आई0सी0 की प्रति।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।